न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 172/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. भंवरलाल पुत्र दीपाराम
2. ताराचन्द पुत्र दीपाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण कवंरपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थीगण की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 05.11.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 26 लगायत 33 किता 8 कुल रकबा 9.86 है0 वाके ग्राम करणपुरा पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादीगण का कम्रश 1/35, 1/35 हक हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। उक्त खातेदारी वादीगण के नाम भूरा पुत्र दीपा जाति बलाई व नारू पुत्र दीपा जाति बलाई के नाम से दर्ज है। वादीगण व वादीगण के पिता का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम है। वादीगण व वादीगण के पिता का नाम सही व वास्तविक नाम भवंरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड में वादीगण व वादीगण के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादीगण व वादीगण के पिता का नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम की जगह भूरा पुत्र दीपा व नारू पुत्र दीपा दर्ज हो गया है जो गलत है भूरा पुत्र दीपा व नारू पुत्र दीपा की

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

जगह वादीगण व वादीगण के पिता का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना उचित है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादीगण तहसील कार्यालय में गये तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीक.र कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 26 लगायत 33 किता 8 कुल रकबा 9.86 है0 वाके ग्राम करणपुरा पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण व वादीगण के पिता का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीगण व वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र दीपा व नारू पुत्र दीपा के स्थान पर वादीगण व वादीगण के पिता का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीगण व वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र दीपा व नारू पुत्र दीपा के स्थान पर वादीगण व वादीगण के पिता का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम करणपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 26 वगै0 कुल किता 14 कुल रकबा 16.63 है0 में भूरा पुत्र दीपा हिस्सा 1/35, नारू पुत्र दीपा हिस्सा 1/35 रिकार्ड दर्ज है। भूरा पुत्र दीपा के बजाय भवंरलाल पुत्र दीपाराम व नारू पुत्र दीपाराम के बजाय ताराचन्द पुत्र दीपाराम हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

1/35, 1/35 शुद्ध किया जाना उचित है क्योंकि उक्त दोनों खातेदारों के नाम जमाबन्दी में अशुद्ध दर्ज रिकार्ड है। उक्त दोनों खातेदारों के शुद्ध नाम के जानकारी आमजन से ली गई कि इनके अलावा अन्य कोई इस नाम का व्यक्ति ग्राम करणपुरा में नहीं है तथा नाम शुद्ध बाबत दोनों व्यक्तियों के राशन कार्ड पैन कार्ड बैंक पास बुक आधार कार्ड व भंवरलाल की आधार कार्ड वोटर आईडी भामाशाह कार्ड राशन कार्ड व हाल ही ग्राम पंचायत खुड द्वारा जारी फोटो युक्त प्रमाण पत्र में नाम सही है। भूरा पुत्र दीपा के बजाय भंवरलाल पुत्र दीपाराम व नारू पुत्र दीपा के बजाय ताराचन्द पुत्र दीपाराम जाति बलाई ही सही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीगण का दावा उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 26 लगायत 33 किता 8 कुल रकबा 9.86 है0 वाके ग्राम करणपुरा पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण व वादीगण के पिता का सही व वास्तिविक नाम भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

भंवरलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 172 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 05.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम सुण्डा** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 26 लगायत 33 किता 8 कुल रकबा 9.86 है0 वाके ग्राम करणपुरा पटवार हल्का खूड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादीगण व वादीगण के पिता का नाम भूरा पुत्र दीपा व नारू पुत्र दीपा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर भंवरलाल पुत्र दीपाराम व ताराचन्द पुत्र दीपाराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.11.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ